

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक: प.1(11)वित्त/राजस्व/2016


जयपुर, दिनांक:- 06.02.2018

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को आगामी आदेशों तक अपने पद के कार्य के साथ साथ उनके नाम के समक्ष अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त कार्यभार	विशेष विवरण
1.	श्री अशोक पाठक	वित्तीय सलाहकार, आर. डब्ल्यू. एस. एस. एम. बी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	वित्तीय सलाहकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	रिक्त पद
2.	श्री सुशील शर्मा	मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर	ट्रेजरर (Treasurer), राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी (RSHAA), जयपुर	नक्सुजित रिक्त पद
3.	श्रीमती सीमा गीतेशश्री	मुख्य लेखाधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर	मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, उदयपुर	रिक्त पद
4.	श्री रामजी लाल गुप्ता	वरिष्ठ लेखाधिकारी, आरयूआईडीपी, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Persons with Disabilities), जयपुर	रिक्त पद
5.	श्री गोपाल कृष्ण सांभरिया	लेखाधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, क्षेत्र जयपुर	लेखाधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त-ग्रामीण, जयपुर	श्री बंशीधर के स्थानान्तरण से हुये रिक्त पद
6.	श्री सतीश गुप्ता	लेखाधिकारी, कृषि विपणन विभाग, जयपुर	लेखाधिकारी, कार्यालय सचिव आईजीएनपी बोर्ड, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट विभाग, जयपुर	श्री वीरेंद्र जैन के स्थानान्तरण से हुये रिक्त पद
7.	श्री पूराराम मीणा	उप निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), जयपुर	लेखा प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), जयपुर	श्री अंजनी कुमार शर्मा के स्थानान्तरण से हुये रिक्त पद

राज्यपाल की आज्ञा से,



(एजाज नबी खान)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)
6. संबंधित विभागाध्यक्ष
7. संबंधित अधिकारी
8. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग
9. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव